

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2986 / 2022

दिनांक : 30.09.2022

श्री विक्रम चौधरी (RJ1029), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर को दिनांक 12.09.2022 से 17.09.2022 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 10.09.2022 से 11.09.2022 एवं 18.09.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, सी.बी.आई. केसेज, जोधपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/16/2016/6624

दिनांक 30.09.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर को उनके पत्रांक 49 दिनांक 19.09.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री विक्रम चौधरी (RJ1029), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, सी.बी.आई. केसेज, जोधपुर।

सहायक रजिस्ट्रार